प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट आराजी में सहखातेदार हैं तथा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही उनके शपथपत्र व बयान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लिये गये है यह साबित नही है कि अपीलार्थी का कब्जा विवादित आराजी पर है। अपीलार्थी ने विवादित आराजी रोडूलाल पिता गंगाराम एंव कैलाश पिता गंगाराम से दिनांक 17.04.2001 को राशि चालीस हजार रूपये नकद देकर खरीद की है तथा अन्य हिस्सेदार सहखातेदार से भी उनका हिस्सा अपनी पत्नी मुन्नीबाई के नाम से कय किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 की आराजी पर अतिकमरण या अनाधिकृत कब्जा नही किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर इस बाबत प्रा0पत्र तहसील पिड़ावा में प्रस्तुत करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रकरण में आराजी की जांच पटवारी हल्का से कराई जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा उक्त आराजी पर पाये जाने पर ही निर्णय पारित किया गया है जो सही है अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पटवारी से फर्द मौका रिपोर्ट(कब्जा सबंधी) नक्शा मय राज़स्व रेकार्ड तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रा0पत्र की पुष्ठी होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में स्पष्ट किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिकमी जिसने अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है,उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों ,बेदखली का दायी होगा। इस प्रकार तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अनुसुचित जाति की भूमि पर से बेदखली का जो आदेश दिया गया है उचित है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 43/अपील/16 तारीख दायरा 03.06.2016

उनवान अपील

बब्बूखां आ0 उमराव खां जाति मुसलमान नि0 ग्राम उन्हैल तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

कैलाश आ0 गंगाराम जाति मेहर नि0 उन्हैल तहसील पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 09.03.2016 प्रकरण संख्या 02/2015 बउनवान कैलाश बनाम बब्बूखां अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा

उपस्थितः— श्री धमेन्द्र सिंह झाला, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री औंकारेश्वरम् शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांकः 22.01.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 09.03.2016 जो मिसल न0 02/2015 पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के तहत पारित किया जाकर ग्राम उन्हैल की आराजी ख0न0 684 रकबा 14 बिस्वा,ख0न0 685 रकबा 04 बिस्वा,ख0न0 1046 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर से बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत समस्त दस्जावेज का गैार पूर्वक अवलोकन नही किया इस कारण निर्णय अपील पत्र संग्रह सार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपील में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सं0 2070—73 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट आराजी में सहखातेदार हैं तथा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही उनके शपथपत्र व बयान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लिये गये है यह साबित नही है कि अपीलार्थी का कब्जा विवादित आराजी पर है। अपीलार्थी ने विवादित आराजी रोडूलाल पिता गंगाराम एंव कैलाश पिता गंगाराम से दिनांक 17.04.2001 को राशि चालीस हजार रूपये नकद देकर खरीद की है तथा अन्य हिस्सेदार सहखातेदार से भी उनका हिस्सा अपनी पत्नी मुन्नीबाई के नाम से क्रय किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 की आराजी पर अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा नही किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री औंकारेश्वरम् शर्मा उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की व दिनांक 08.05.2017 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत समस्त दस्जावेज का गैार पूर्वक अवलोकन नही किया इस कारण निर्णय अपील पत्र संग्रह सार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपील में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सं0 2070—73 के अनुसार

जिला कलक्टर

झालावाड़